

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 54/15 वैवाहिक

सुरेन्द्र सिंह पुत्र गणेशराम आयु 34 साल
जाति कुशवाह निवासी न्यू कालोनी पिन्टू
पार्क मुरार ग्वालियर म०प्र०

-----आवेदिका

बनाम

श्रीमती सुनीता पत्नी सुरेन्द्र पुत्री वैजनाथ
आयु 32 साल जाति कुशवाह, निवासी
हाल दत्तू का पुरा वार्ड क्रं०2 गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री भगवती राजोरिया अधिवक्ता
अनावेदिका द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 01-3-2016 को पारित किया गया //

- 1- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।
- 2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि सुरेन्द्र सिंह (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती सुनीता (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह करीब 14-15 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था और दोनों के विवाह के उपरांत कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुयी । शादी के बाद कुछ समय तक पक्षकार क्रं०1 एवं पक्षकार क्रं०2 पति पत्नी के रूप में रहे । शादी के

प्रारंभ से ही दोनों पक्षकारों के मध्य वैचारिक मतभेद रहे और इस कारण से पक्षकार क्रं01 एवं पक्षकार क्रं02 लगभग दो साल से अलग अलग रह रहे हैं । अब दोनों के मध्य आपसी विवाद इस सीमा तक पहुंच गया है कि साथ साथ रहना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है । क्योंकि दोनों पक्षकार कोई ऐसी गंभीर घटना कारित कर सकते थे जिससे कि दोनों का जीवन संकट में हो सकता था । रिश्तेदारों ने दोनों के परिवारों ने आपस में सुलझ कराने की काफी कोशिश की किन्तु सुलह नहीं हो सकी और दोनों प्रथक प्रथक निवास कर रहे हैं । दिनांक 5-3-11 से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं । कई बार दोनों के रिश्तेदारों ने पंचायत की और दोनों को समझाने की काफी कोशिश की किन्तु कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ । वह करीब पांच वर्ष से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं । दोनों पक्षों ने परिवार एवं रिश्तेदारों के मध्य बैठकर फैसला लिया है कि अब दोनों पक्ष अलग अलग होकर अपना जीवन यापन करेंगे । भरण पोषण के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है जिसमें से कि आदी राशि पूर्व में दी भी जा चुकी है । पक्षकार क्रं02 का संपूर्ण स्त्रीधन पूर्व से उसके पास है अब कोई भी लेना देना शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुआ विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है । ।

3- उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 24-8-15 को पेश किया गया । उसके उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 26-8-15, 27-11-15, 23-2-16 के उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी । इस प्रकार याचिका पेश हुये 6 महीने से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 सुरेन्द्र एवं पक्षकार क्रं02 श्रीमती सुनीता को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं02 श्रीमती सुनीता पक्षकार क्रं01 सुरेन्द्र की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई

संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब एक वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि विवाह के समय दान दहेज में दिया हुआ सभी सामान एवं सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार क्रं01 ने पक्षकार क्रं02 को भरण पोषण की संपूर्ण राशि अदा की जा चुकी है जो कि पक्षकार क्रं.02 के द्वारा स्वीकार किया गया है ।

5- विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1-आवेदक पक्षकार क्रं01 सुरेन्द्र तथा श्रीमती सुनीता पक्षकार क्रं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड